मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

कमांक /2014/तेरह भोपाल, दिनांक

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

विषय : विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटनाओं पर अंकुश लगाने बावत् ।

:–:

वन विभाग द्वारा विद्युत करंट से वन्यप्राणियों की मृत्यु की घटनाओं में हो रही निरंतर वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की है। वन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्ष 2012 तथा वर्ष 2013 में विद्युत करंट से क्रमशः 66 एवं 90 वन्य प्राणियों की मृत्यु हुई थी। माह जनवरी एवं फरवरी, 2014 में भी विद्युत करंट से 7 वन्यप्राणियों की मृत्यु हुई थी।

उपरोक्त के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु अनुरोध है :–

1. विद्युत करंट से वन्यप्राणियों के शिकार के प्रकरण में वन विभाग द्वारा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने के साथ–साथ विद्युत निरीक्षकालय के अधिकारियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाए ।

2. संवेदनशील वन क्षेत्रों में जहां विद्युत करंट से दुर्घटना की घटनायें आमतौर पर होती है Earth Leakage Circuit breakers लगाए जाए ।

3. विद्युत वितरण कंपनी के कर्मियों द्वारा जंगलों के समीप स्थित खेतों से गुजरने वाली विद्युत लाईने जहाँ झुक गई हों या तार टूटे हों अविलंब उसकी मरम्मत की जाए ।

4. वन्य क्षेत्रों में 11 केव्ही. लाइनों के समस्त "ट्रिपिंग ऑन अर्थ फॉल्ट" की वन विभाग के साथ मिलकर जांच की जाए ।

5. भविष्य में भूमि के ऊपर यदि विद्युत लाईन डाली जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि वे निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर हो । जहां पर विद्युत लाईनें विद्यमान है वहां न्यूनतम ऊंचाई की जांच की जाए तथा जहां आवश्यकता हो वहां लाईन की ऊंचाई बढ़ायी जाए ।

पंजी क्र. 658 /20 14 /10-2
दिनांक 19-03-2014

6. जिला स्तर पर वनमंडलाधिकारियों एवं विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाए। इन बैठकों में संबंधित मैदानी अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

04/3 2/1
19/3/14

(एम.धारीवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

क्रमांक 166.1 /2014/तेरह भोपाल, दिनांक 14.3.2014

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी),मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक,सतपुड़ा भवन, भोपाल। उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 एवं 5 के अनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु अनुरोध है।

आवक क्र. .../20../10-2
दिनांक 22/03/2014

PCCF (W...
(M.P.) BHO...

24.3.14 25/3/14

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी 14/3/14
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

SO-2 संबंधित पत्र PCCF WL को अवगत कराने हेतु
वरिष्ठ के अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
18/3/14

PCCF (WL) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/3/14